भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.03.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2290 का उत्तर

स्लीपर कोच बढ़ाना

2290. श्रीमती नवनित रवि राणा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अमरावती-पुणे एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले 60 प्रतिशत लोग मध्यम वर्ग और बीपीएल परिवार हैं और वे ए.सी. ट्रेन के अत्यधिक किराए का भुगतान नहीं कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ट्रेन के अधिकांश यात्रियों के लाभ के लिए कुछ और स्लीपर कोच जोड़ने और ए.सी. कोचों को कम करने के लिए कोई प्रावधान करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): इस समय, अमरावती-पुणे खंड को एंड-टू-एंड आधार पर दो जोड़ी गाड़ी सेवाओं द्वारा सेवित किया जा रहा है अर्थात् 11405/11406 अमरावती-पुणे एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) वातानुकूलित और गैर-वातानुकूलित एकोमोडेशन के साथ चल रही है और 22117-22118 पुणे अमरावती एसी एक्सप्रेस (सप्ताहिक) पूर्णतया वातानुकूलित चल रही है। 22117-22118 पुणे अमरावती एसी एक्सप्रेस में गैर-वातानुकूलित श्रेणी के सवारी डिब्बों को लगाना, इस समय, व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि यह गाड़ी पहले से ही अपनी अधिकतम अनुमेय भार के साथ चल रही है और 22125/22126 नागपुर-अमृतसर एसी एक्सप्रेस तथा 22123/22124 पुणे-अजनी एसी

एक्सप्रेस के साथ एकीकृत लिंक के रूप में चल रही है। बहरहाल, भारतीय रेलवे में परिचालनिक व्यवहार्यता और वाणिज्यिक औचित्यता के मद्देनज़र सवारी डिब्बों का संवर्धन/हटाया जाना एक चालू प्रक्रिया है।

******